



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पूर्व



प्रेस नोट

दिनांक:- 31.10.2022

एन.डी.पी.एस. एक्ट के मादक पदार्थों का निस्तारण

आज दिनांक 31.10.2022 को पुलिस थाना बनाड़ के एन.डी.पी.एस. एक्ट के 05 प्रकरण व पुलिस थाना करवड़ के 01 प्रकरण (जैर ट्रायल) में जब्तशुदा मादक पदार्थों का न्यायालय से बाद सत्यापन करवाया जाकर जब्तशुदा 57 किलो 236 ग्राम डोडापोस्त, 37.5 ग्राम स्मैक व 518 ग्राम गांजा का निस्तारण एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52ए के तहत प्रकरणों में सैम्पल को सुरक्षित रखा जाकर गठित कमेटी द्वारा तोलकर सत्यापन किया जाकर मादक पदार्थों को जलाकर कर निस्तारित किया गया।
गठित कमेठी

1. पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पूर्व
2. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पूर्व
3. अपराध सहायक, कार्यालय जोधपुर पूर्व

(डॉ. अमृता दुहन)

पुलिस उपायुक्त
जोधपुर पूर्व

